



नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित डैनिक

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

नवसर्जन संस्कृति

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 • Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com • Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com • Website : www.navsarjansanskruti.com

**चार साल बाद स्थानीय लोकतंत्र की वापसी,
महानगरपालिकाओं में चुनावी रण का औपचारिक शंखनाद**

(जी-एन-एस)। मुंबई। करीब चार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में एक बार फिर स्थानीय लोकतंत्र की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने जा रही है। नगरसेवक बनने की चाह रखने वाले हजारों दावेदारों के लिए मंगलवार, 23 दिसंबर से मनपा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके साथ ही महानगरों की सियासत में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उत्तरने की तैयारियां में जुट गए हैं। 23 से 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार अपने-अपने प्रभागों के लिए तय जोन कार्यालयों से नामांकन पत्र खरीदकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशनुसार मनपा प्रशासन ने 18 दिसंबर को चुनाव की अधिसचना

जारी कर दी थी, जिसके साथ ही औपचारिक रूप से चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो गया। अधिसूचना के अनुसार नामांकन आवेदन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण इन दो दिनों में नामांकन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी चरणों को पूरा करते हुए चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएगा।

नामांकन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की विधिवत जांच की जाएगी। इस दौरान दस्तावेजों में कमी या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नामांकन खारिज भी किए जा सकते हैं। वैध पाए गए उम्मीदवारों की सची जारी की जाएगी। जिसके

बाद प्रत्याशियों को 2 जनवरी तक अपना नामांकन वापस लेने का अवसर मिलेगा। 3 जनवरी को अंतिम उम्मीदिवार सूची जारी होने के साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उत्तरने वाले प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्रचार का दौर शुरू होगा।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान 15 जनवरी को कराया जाएगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतिम सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को करीब 13 दिनों का समय प्रचार के लिए मिलेगा। इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया लगभग 25 दिनों में पूरी की जाएगी। चार साल से अधिक समय बाद हो रहे इन चुनावों को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि स्थानीय निकाय लंबे समय से प्रशासकों के भरोसे



चल रहे थे। इसी बीच बृहन्मुंबई नगर निगम के आगामी आम चुनाव 2025-26 की तैयारियों को लेकर नगर निगम मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और प्रशासनिक तैयारियों, कानूनी प्रावधानों तथा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में आपसी समन्वय पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने की। उन्होंने चुनावों के लिए तैयार की गई कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और समाधान का भरोसा दिलाया। भूषण गगरानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर प्रशासन और चुनाव तंत्र निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए परी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं से राज्य निवाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की अपील की। उनका कहना था कि आचार संहिता का पालन न केवल चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाएगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूती देगा और चुनाव अवधि के दौरान एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करेगा। वैठक में अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, विशेष चुनाव अधिकारी विजय बलमावर, उप आयुक्त मूल्यांकन एवं संग्रह विश्वास शंखवार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने नामांकन दाखिल करने, आवेदनों की जांच, आपत्तियों के निपटारे, मतदाता जागरूकता अभियानों और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। दलों की ओर से उठाए गए सवालों पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी स्तर पर पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा। वैठक का समापन इस सहमति के साथ हुआ कि जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच नियमित समन्वय बनाए रखा जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनी रहे। चार साल के अंतराल के बाद हो रहे इन मनपा चुनावों को स्थानीय शासन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनके जरिए एक बार फिर जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा और महानगरों की सत्ता जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में लौटेगी।

लवासा प्रकरण में बड़ा न्यायिक मोड़, दो दशक पुराने विवाद पर हाईकोर्ट की मुहर, पवार परिवार को मिली कानूनी राहत



जनहित और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सख्त फैसला: दाताना पांच दाताना दबेली में चाहती है सांदो पा पार्टी परिवर्तन

(जीएनएस)। सिलवासा। दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने जनहित, पशु कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोंपरि रखते हुए, एक अहम और दूरगमी निर्णय लिया है। जिले की सीमा में चाइनीज मांझे, जिसे सिंथेटिक पतंग डोर के नाम से जाना जाता है, के उपयोग, बिक्री, भंडारण, परिवहन और आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि नायलॉन, प्लास्टिक या धातु-लेपित सिंथेटिक मांझा आम नागरिकों, विशेष रूप से दोषियों वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। बीते वर्षों में सामने आई कई दर्दनाक घटनाओं और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने यह शहरी और ग्रामीण हिलाकों में जलभराव की समस्या पैदा होती है। इस प्रकार चाइनीज मांझा केवल एक मौसमी शौक का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संकट का कारण बनता जा रहा था। प्रशासन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार पहले ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके अलावा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी समय-समय पर इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके, कई स्थानों पर चोरी-छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग जारी था, जिससे कानून के प्रति लापरवाही और जनसुरक्षा के प्रति उदासीनता सामने आ रही थी। दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने इन्हीं

सख्त कदम उठाया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चाइनीज मांड़ा केवल इंसानों के लिए नी नहीं बल्कि पश्चिमों और पारस्परों के लिए भी

परिस्थितियों को देखते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि जिले की सीमा में किसी भी कीमत पर चाइनीज मांड़े की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हा नहा, बाल्क पाक्या आर पशुआ के लिए भा
जानलवा सवित हो रहा है। पतंगाजी के दौरान
आसमान में फैला यह तेज धार वाला सिंथेटिक
मांझा उड़ते हुए पक्षियों के फंख और गर्दन को
गंभीर रूप से ध्याल कर देता है, जिससे उनकी
मौके पर ही मौत हो जाती है या वे जीवनभर
के लिए अपंग हो जाते हैं। कई बार आवारा
पशु और पालतू जानवर भी जमीन पर गिरे
मांझे में उलझकर बुरी तरह ध्याल हो जाते हैं।
इसके अलावा सड़क पर दौड़ते दोपहिया वाहन

दा जाएगा।
आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार
के चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण,
आपूर्ति और उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार या संस्था इस
आदेश का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो
उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की
जाएगी। इसमें जुर्माना, जब्ती और अन्य
दंडात्मक प्रावधान शामिल होंगे। प्रशासन ने
संबंधित विभागों, पुलिस और नगर निकायों को

चालकों के लिए यह मांझी किसी अदृश्य ब्लेड से कम नहीं है। गले, चेहरे और हाथों पर गंभीर कट लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई। प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया है कि चाहीनीज मांझी नॉन-बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी यह लंबे समय तक नष्ट नहीं होता और पर्यावरण में बना रहता है। खेतों, जंगलों, नालों और जल स्रोतों में फंसा यह मांझी प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है। बारिश के मौसम में यह नालियों और जल निकासी पर्यालियों को भी अवरुद्ध कर देता है जिससे निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से बाजारों, दुकानों और संभावित स्थानों पर निगरानी रखें और प्रतिवंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने इस अवसर पर नागरिकों से भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे पतंगबाजी के दौरान केवल सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सूती मांझी का ही उपयोग करें। सूती मांझी न केवल इंसानों और पशु-पक्षियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी नक्सलप्रदायक नहीं है।

सेवा, संस्कार और समृद्धि का सम्मान: पुरुषोत्तमदास पुरोहित के नाम डाक टिकट, पाली के इतिहास में दर्ज हुआ स्वर्णिम अध्याय

पराधिक जांच का आदेश से पहले ठोस कानूनी बार और विश्वसनीयता ग्री होना अनिवार्य है, जो मामले में अनुपस्थित है। वेकारकर्ता नानासाहेब पव का आरोप था पुणे जिले के मुलशी क्षेत्र में लवासा हिल परियोजना को मंजूरी अदेखी की गई और इसेमाल किया गया। न्होने वर्ष 2018 में पुणे में शिकायत दर्ज कराई पर बड़े राजनीतिक नाम इ कार्रवाई नहीं हुई। इसी स्वीआई जांच की मांग की स्वतंत्र जांच हो सके। इस तक को स्वीकार नहीं करवल आरोपों के आधार ने का आदेश नहीं दिया गहल स्थिर परियोजना को जी दिल स्टेशन के रूप में पेश किया गया था। पुणे वांध क्षेत्र में लगभग 25,000 इस भव्य परियोजना की परी थी। बड़े-बड़े सपनों और निवार हुई यह परियोजना उस समय गई, जब वर्ष 2010 में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा कानूनी अडचनों, कर्ज के बोझ विवादों ने इस परियोजना के थाम दी। बीते वर्षों में लवासा लेकर कई बार राजनीतिक हुए। वर्ष 2022 में हाईकोर्ट ने इस विवाद को और हवा दी गया था कि इस परियोजना में सुप्रिया सुले का 'व्यक्तिगत हिन्दू नजर आता है। उस समय के अन्तिम पवार पर भी प्रक्रियागत लगाए गए थे। हजारों करोड़ दूबी यह परियोजना अंतें: और आज यह इलाका एक अंडहर में तब्दील होती परियोजना जाता है।

पास वरसगांव
एक द्वीप भूमि पर
उत्पन्ना की गई
वहाँ के साथ शुरू
विवादों में घिर
गए मंत्रालय ने
का हवाला देते
दी। इसके बाद
और प्रशासनिक
गति पूरी तरह¹
परियोजना को
भारोप-प्रत्यारोप
की एक टिप्पणी
हो, जिसमें कहा
गया है कि विवाद पवार और
'प्रधाव' और 'प्रधाव'
सेन्चाई मंत्री रहे
चूक के आरोप
पये के कर्ज में
वालिया हो गई²
री और लगभग
ना के रूप में
(जीएनएस)। पाली। पाली जिले के विकास के क्षण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम बल्कि सेवा, परोपकार और सामाजिक से भरे जीवन को राष्ट्रीय स्तर पर मिली का प्रतीक बन गया है। बसंत गांव के भारत समाजसेवी और आदर्श होटल ग्रुप, सुन संस्थापक स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास एच. के उल्लेखनीय सामाजिक और जनसेवक के सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनका दाक टिकट जारी किया गया है। यह टिकट न सिर्फ स्व. पुरुषोत्तमदास पुरोजीवन कार्यों को अमर बनाता है, बल्कि जिले के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्ध कार्योंकि यह जिले के इतिहास में जारी होना पहला दाक टिकट है। इस ऐतिहासिक दाक टिकट का वर्णन एलबम स्व. पुरुषोत्तमदास पुरोहित घनश्याम पुरोहित और जगदीश पुरोहित के सांसद पां. पी. चौधरी को उनके काम में भेंट किया। यह क्षण भावनाओं से भरा था, जहां एक ओर पिता की स्मृतियों और आदर्शों का सम्मान था वहीं दूसरी ओर

बदलाव लाने का माध्यम भी बन सकती है। सांसद ने पी. एच. पुरोहित (रावतसिंह) चैरिटेबल ट्रस्ट और आदर्श होटल ग्रुप, मुंबई द्वारा स्थापित स्व. सरोजदेवी पुरुषोत्तमदास पुरोहित राजकीय आरोग्य केंद्र, बसंत के सेवा कार्यों की विशेष सराहना की और कहा कि यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार बन चुका है। उन्होंने भविष्य में इसके विस्तार और सुविधाओं को और बेहतर बनाने की संभवनाओं पर भी सकारात्मक विचार व्यक्त किए। घनश्याम पुरोहित और जगदीश पुरोहित ने इस अवसर पर कहा कि उनके लिए यह डाक टिकट केवल एक सरकारी सम्मान नहीं, बल्कि उनके पितामही के सेवा, सादगी और मानवता से भरे जीवन की सार्वजनिक स्त्रीकृति है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जीवनभर समाज के लिए काम किया और बिना किसी प्रचार के जरूरतमंदों की मदद को अपना कर्तव्य माना। परिवार का यह संकल्प है कि वे पितामही द्वारा दिखाए गए सेवा और संवेदना के मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अपने योगदान को और मजबूत करेंगे। डाक टिकट का जारी होना पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और यह आने वाली पीढ़ियों को समाजसेवा के लिए प्रेरित करेगा। इस गरिमामय अवसर पर पंचायत समिति सुमेरपुर के प्रधान पृथ्वीराज पुरोहित, आदर्श परिवार के विनोदकुमार, शिवसेना (शिंदे) के राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष दिलीप राजपुरोहित सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने एक स्तर में कहा कि स्व. पुरुषोत्तमदास पुरोहित का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण पृथग्भूमि से निकलकर व्यक्ति समाज के लिए असाधारण कार्य कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान यह भावना बार-बार उभरकर सामने आई कि यह डाक टिकट केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरक संदेश है। पाली जिले के इतिहास में दर्ज हुआ यह अद्याय न केवल एक व्यक्ति के सम्मान की कहानी है, बल्कि उस परंपरा का प्रतीक भी है जिसमें समाजसेवा, परोपकार और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता है।



